

8032

IV-616



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 0a447b43c3e4a1f15ef8

Receipt Date : 04-Sep-2023 11:14:16 am

Receipt Amount : 50/-

Amount In Words : Fifty Rupees Only

Token Number : 202300118450

Office Name : SRO - Ranchi

Document Type : Partnership

Payee Name : Manisha Singh (Vendor)

GRN Number : 2319073197



-- For Office Use :-

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 वरिश्चिप्ट 4 नियम 21/27
के अधिन भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची
1 या 1 के सं. 46 के अधीन यथावत स्टाम्प
सहित या स्टाम्प शुल्क से विमुक्त या स्टाम्प शुल्क
अपेक्षित नहीं।

Priyanshu

4/9/23

Wipali

मनिषा सिंघ

निबंधन पदाधिकारी

4/9/23

04/09/23

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

stamp 50

R. Ashish
4/9/23



Ashish Kumar
Advocate
Jharkhand High Court &
Civil Court Ranchi



साक्षेदारी विलेख

यह साक्षेदारी विलेख 04 सितम्बर, 2023 को राँची में बनाया गया।

बीच में

1. मनीषा सिंह (Manisha Singh), जन्मतिथि-26.07.1981 पत्नी श्री गुप्तेशवर सिंह, जाति-सामान्य (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से अनाच्छादित), पेशा-व्यवसाय, निवासी- खेलगांव चौक, दीपाटोली, पोस्ट-आर.एम.सी.एच, थाना-सदर, बरियातू, राँची- 834009, झारखण्ड, PAN- AQSPS9720M, UID- XXXX XXXX 7069 होना इसके बाद इसे प्रथम पक्ष कहा जाएगा।

और

2. प्रियांशु रंजन (Priyanshu Ranjan) जन्मतिथि-19.03.2005 पुत्र- श्री गुप्तेशवर सिंह, जाति-सामान्य (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से अनाच्छादित), पेशा-व्यवसाय, निवासी- खेलगांव चौक, दीपाटोली, पोस्ट-आर.एम.सी.एच, थाना-सदर, बरियातू, राँची- 834009, झारखण्ड, PAN- FVPPR8024C, UID- XXXX XXXX 2529 होना इसके बाद इसे द्वितीय पक्ष कहा जाएगा।

पहले पक्ष और दूसरे पक्ष के भागीदार की अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ के विपरीत या प्रतिकूल न हो, इसमें उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, कानूनी प्रतिनिधि और उनके संबंधित हिस्सों के प्रशासक शामिल होंगे।

Priyanshu
मनीषा सिंह
4/9/23

जबकि पार्टियां व्यवसाय को सुचारु तरीके से करने के लिए हाथ मिलाने कि आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए भवन निर्माण, भूमि विकास, रियल एस्टेट और संबद्ध कार्यों या समय-समय पर निर्णय के अनुसार व्यवसाय करने के लिए साझेदारी में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया है।

और जब किसी पक्ष 4 सितम्बर, 2023 से साझेदारी में कारोबार चलाने हेतु सहमत हुए हैं।

और जब कि साझेदारी के व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने के लिए, साझेदारों ने पारस्परिक रूप से साझेदारी का एक दस्तावेज तैयार करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें उन नियमों और शर्तों को दर्ज किया जिसके तहत साझेदारी का उक्त व्यवसाय चलाया जाएगा।

अब ये उपस्थित साक्षी हैं और इसके द्वारा भागीदारों द्वारा और उनके बीच इस प्रकार पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की जाती है:

1. साझेदारी व्यवसाय को मेसर्स पी एस डेवलपर्स (M/s P S Developers) के नाम और शैली में तहत 4 सितम्बर, 2023 से शुरू किया गया माना जाएगा।
2. यह कि साझेदारी व्यवसाय झारखण्ड राज्य के राँची में या ऐसे अन्य स्थानों पर किया जाएगा, जहां साझेदार फर्म के महान हित के लिए समय-समय पर पारस्परिक रूप से निर्णय ले सकते हैं।
3. फर्म का मुख्य कार्यालय राधा कॉम्प्लेक्स में स्थित होगा जो कि खेलगांव चौक, दीपाटोली, पोस्ट- आर.एम.सी.एच, थाना-सदर, बरियातू, राँची- 834009, झारखण्ड, फर्म का कार्यालय/गोदाम इत्यादि साझेदारी द्वारा तय किए गए अन्य स्थानों पर होगा।
4. फर्म का व्यवसाय भवन निर्माण, भूमि रियल एस्टेट और अन्य संबद्ध कार्यों का होगा और उक्त व्यवसाय के अतिरिक्त या प्रतिस्थापन में ऐसा अन्य व्यवसाय या उद्योग भी होगा जो समय-समय पर भागीदारों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, आपसी सहमति से।
5. यह कि साझेदारी इच्छानुसार है और एक साझेदार इस संबंध में अपने इरादे के बारे में दूसरे साझेदार को लिखित रूप में तीन महीने की अग्रिम सूचना के बाद साझेदारी से सेवानिवृत्त हो सकता है।
6. फर्म की पूंजी का योगदान प्रत्येक भागीदार द्वारा नगद या वस्तु के रूप में किया जाएगा, निम्नलिखित अनुपात में:

मनीषा सिंह -रु 50,000.00/-

प्रियांशु रंजन -रु 50,000.00/-

मनीषा सिंह
Prayanshu
5/9/23

7. साझेदारी व्यवसाय के उद्देश्य के लिए आवश्यक पूंजी के साथ-साथ अतिरिक्त धनराशि का योगदान या व्यवस्था साझेदारों द्वारा इस तरह से की जाएगी जिस पर समय-समय पर साझेदारों के बीच आपसी सहमति हो। 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज या ऐसी अन्य दर जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 (बी) या उसके किसी भी संशोधन द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में लागू हो सकती है, राशि पर भागीदारों को देय होगी। साझेदारों के खाते में जमा होना। इस तरह ब्याज की गणना की जाएगी और लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक भागीदार के खाते में जमा किया जाएगा। हालांकि साझेदार आपसी सहमति से, ब्याज की राशि कम कर सकते हैं या बही लाभ की अपर्याप्त में मामले में कोई ब्याज नहीं ले सकते हैं।

8. यह कि सभी भागीदार कामकाजी भागीदार होंगे और प्रत्येक पारिश्रमिक का हकदार होगा जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।

a) पहले पर पहले रु० बही-लाभ का
बही-लाभ के 90 प्रतिशत

रु० 1,50,000 या

3,00,000 या हानि की स्थिति में

की दर से, जो अधिक हो

b) बही लाभ के संतुलन पर

60% की दर से

जैसा कि ऊपर गणना है, वेतन/पारिश्रमिक की कुल राशि भागीदारों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी।

हालांकि साझेदारी आपसी सहमति से, वेतन/पारिश्रमिक की राशि कम कर सकते हैं या बही लाभ की अपर्याप्त के मामले में कोई वेतन/पारिश्रमिक नहीं ले सकते हैं। यदि प्रासंगिक समय पर आयकर कानून के तहत प्रावाधान किया गया हो तो साझेदार आपसी सहमति से साझेदारों को देय वेतन/पारिश्रमिक की कुल राशि को बढ़ा या घटा भी सकते हैं।

9. व्यवसाय का लाभ या हानि निम्नलिखित अनुपात में भागीदारों के बीच विभाजित किया जाएगा:

मनीषा सिंह - 50 %

प्रियांशु रंजन - 50 %

10. प्रत्येक साझेदार को अन्य साझेदारों की सहमति से व्यक्तिगत उपयोग के लिए साझेदारी खाते से कोई भी राशि निकालने का अधिकार होगा।

मनीषा सिंह -
प्रियांशु रंजन

11. यह कि फर्म बैंको, सरकारी निकायों, अर्ध-सरकारी निकायों या अन्य वित्तीय संस्थानों या निजी व्यक्तियों से फर्म के व्यवसाय को ब्याज के साथ या बिना ब्याज के चलाने के लिए ऋण ले सकती है।

12. साझेदार फर्म के लिए और उसकी ओर से समझौतों, अनुबंधों या किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के हकदार और सशक्त होंगे। वे सरकारी विभागों, उपक्रमों, स्थानीय अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति से डिस्चार्ज या रसीद या स्वीकृति दस्तावेजों के जारी होने पर नगद या चेक/ड्राफ्ट आदि में भुगतान प्राप्त करने और स्वीकार करने की भी हकदार होंगे, फर्म में व्यवसाय से संबंधित कंपनियों आदि को फर्म के लिए और उसकी ओर से किया गया कार्य माना जाएगा, जो सभी मामलों में अन्य भागीदार के लिए बाध्यकारी होगा।

13. यहां प्रत्येक पक्ष को अदालत, राजस्व कार्यालय, आयकर कार्यालय, बिक्री कर कार्यालय या वाणिज्यिक कर दे किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनिधित्व करने और फर्म की ओर से कार्य करने का अधिकार होगा, चाहे वह मूल या अपीलीय या प्रत्यावर्ती चरण में हो और किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी कार्यालय, फर्म, कंपनी, बैंक एसोसिएशन, संस्था, विभाग और संगठन आदि में।

14. यह कि कोई भी भागीदार दूसरे भागीदार की लिखित सहमति के बिना फर्म में अपने शेयरों या हितों को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने, हस्तांतरित करने, अलग करने या किसी तरीके से अलग का हकदार नहीं होगा।

15. यह कि फर्म का बैंक खाता किसी भी बैंक में होगा, जिस पर समया समय पर आपसी सहमति और सहमति होगी और इसे सभी भागीदारों द्वारा संचालित किया जाएगा, और निकासी भागीदारों के एकल हस्ताक्षर द्वारा या पारस्परिक रूप से तय किए गए अनुसार कि जा सकती है। लेखन में भागीदार।

16. यह कि भागीदार खातों, अभिलेखों, बाउचरों आदि की उचित पुस्तकें बनाए रखेंगे या रखवाएंगे और उनका उद्धरण या प्रतियां लेने की शक्ति के साथ उचित समय पर भागीदार द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

17. फर्म की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए हर साल 31 मार्च को वार्षिक लेखा लिया जाएगा और साथ ही लाभ और हानी खाता तैयार किया जाएगा और परिणाम लाभ या हानि, सभी प्रचार्य खर्चों को चुकाने के बाद प्राप्त की जाएगी। जैसा भी मामला हो, प्रत्येक भागीदार के व्यक्तिगत पूंजी खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा।

18. यह कि विशेष अपरिहार्य परिस्थितियों पर आपसी सहमति से साझेदारी फर्म का पूर्ण विघटन हो। इसके पक्षकारों को सभी परिसंपत्तियों, देनदारियों, मौजूदा या आकस्मिक और साथ ही साझेदारी की सद्भावना को ध्यान में रखते हुए भागीदारों

Riyanshu
4/9/20

मानिषा शिंदे
4/9/20

के मामलों की एवं पूर्ण और स्टीक सूची तैयार करानी होगी। पूंजी की कमी सहित नुकसान का भुगतान पहले पूंजी से किया जाएगा और अंत में, यदि आवश्यक हो तो पार्टियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में वे लाभ साझा करने के हकदार थे।

19. किसी भी पक्ष की मृत्यु के मामले में, मृत पक्ष के उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधियों को उन्ही नियमों और शर्तों पर साझेदारी में भागीदार के रूप में उसमें स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा जैसा कि मृत पक्ष वर्तमान या किसी अन्य शर्तों के तहत हकदार था। जीवित पक्षों द्वारा सहतति व्यक्त की जा सकती है और मृत पक्ष के उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि जीवित पक्ष के भागीदार या भागीदार बनने के लिए अकेले अनिच्छुक है, वे फर्म के व्यवसाय को जारी रखने के हकदार होंगे, लेकिन वे उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। या मृत पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि, मृत्यु तक लाभ, ब्याज और पारिश्रमिक के साथ मृत पक्ष के नाम पर मौजूद क्रेडिट शेष।

20. यह कि साझेदारी फर्म में साझेदारी विलेख या उसके किसी भी नियम के गठन, अर्थ या व्याख्या या साझेदारी खाते, लाभ या हानि या अधिकारों, देनदारियों या दायित्व के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, संदेह या मतभेद में मामले में इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा, मध्यस्थता बोर्ड को, जिसमें तीन मध्यस्थ होंगे, जिसमें से प्रत्येक को पहले पक्ष, दूसरे पक्ष और तीसरे पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उक्त मध्यस्थों को निर्णय अंतिम और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी होगा। किसी भी असहमति के मामले में, उक्त मध्यस्थ को निर्णय के लिए भेजा जा सकता है। उक्त अंपायर का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

21. समझौते की व्याख्या और अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और इसके पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले अन्य विवाद और मतभेद, या तो इस समझौते के अस्तित्व के दौरान या इसकी समपत्ति पर, पारस्परिक रूप से सहमत मध्यस्थ को भेजे जाएंगे और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा, इस समझौते के सभी पक्षों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी।

22. यदि किसी समय सभी साझेदार सहमत हो जाए तो फर्म में और अधिक साझेदारों को शामिल किया जा सकता है।

23. उपरोक्त शर्तों के अधीन फर्म के मामले और उपरोक्त भागीदारों के बीच संबंध भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधान द्वारा शासित होंगे।

प्रतिष्ठा सिंह
1.1.1.
Priyanshu

24. यह कि साझेदार आपसी सहमति से भविष्य में आवश्यकतानुसार इस विलेख के नियमों और शर्तों में बदलाव, परिवर्तन जोड़ या हटा सकते हैं।

25. यह कि दोनों साझेदार के संयुक्त हस्ताक्षर या दोनों साझेदारों में से कोई भी एक साझेदार के हस्ताक्षर से किसी भी दस्तावेज को संपादित किया जा सकता है।

इसके साक्ष्य में पार्टियों ने उपयुक्त दिन, महीने और वर्ष पर साझेदारी के इस समझौते पर अपने-अपने हाथ रखे हैं।

गवाहों का हस्ताक्षर :-

1. *Gaurav Kumar*
4/9/23
GAURAV KUMAR
S/O GANESH
Pitambar Residency,
Booty.

2. RAMESH KUMAR
S/O LATE RAMPRASAD
ANAND NIMAR BOOTY
MORE RANCHI

Ramesh
04/09/2023

मनीषा सिंह
04/09/2023

1. मनीषा सिंह
(प्रथम पक्ष)

Priyanshu
2. प्रियांशु रंजन 04/09/2023
(द्वितीय पक्ष)



Ashutosh Kumar
Advocate
Jharkhand High Court &
Civil Court Ranchi

कनिष्ठा	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि सभी व्यक्तियों के बायें हाथ के पांचों ऊंगलियों का निशान एवं फोटो इस दस्तावेज में मेरे द्वारा/सामने लिया गया।

Ashutosh Kumar
04/09/2023
ड्राफ्टकर्ता :- आशुतोष कुमार,
अधिवक्ता, राँची
Advocate
Jharkhand High Court &
Civil Court Ranchi

CS



Pre Registration Docket

Date :- 02-09-2023 06:06 pm

Office Name :- SRO - Ranchi
Token No:- 202300118450

Appoinment :- 04-Sep-2023 Time:- 11:3

Article	Partnership
Pre Registration Date	01-Sep-2023
No. Of Pages	14
Stamp Duty	42
Paid Stamp Duty	0
Total Fees	₹ 2,420.

FIRST PARTY	-Mrs. Manisha Singh, ,Father/Husband Name Gupteshwar Singh , PAN No.- Date Of Birth-26-Jul-1981,Permission Case No.- ; Aadhaar No. *****7069, Country-India, State Name-Jharkhand, District Name-Ranchi, City/Village/Town Name-Ranchi, Locality- ,Address - Khelgaon Chowk Dipatoli P.O RMCH P.S Sadar Ranchi, Pin Code-834009
PARTY	-Mr. Priyanshu Ranjan, ,Father/Husband Name Gupteshwar Singh , PAN No.- Date Of Birth-19-Mar-2005,Permission Case No.- ,Aadhaar No. *****2529, Country-India, State Name- Jharkhand, District Name-Ranchi, City/Village/Town Name- Ranchi, Locality-,Address - Dipatoli Khelgaon Chowk P.O RMCH P.S Sadar Bariatu Ranchi, Pin Code-834009

Witness Information	Mr. Gaurav Kumar , Address - Pitamber Residency Dumardaga Sadar Ranchi-, Father/Husband Name-Garib Sahu
---------------------	--

Identifier Details	Mr. Gaurav Kumar , Address - Pitamber Residency Dumardaga Sadar Ranchi-, Father/Husband Name-Garib Sahu
--------------------	--

1	Stamp Duty	42
---	------------	----


1	DD	2,000
Total		2,000
2	SP	420
Total		420

All the entries made, have been verified by me and are found same as the entries of the document presented.

Disclaimer : I hereby declare that all the contents of uploaded document and the original document are exactly same, and all the information provided by me are true to itself. The detail of property's holding number has been verified by me at the time of entry through alert generated by the system. I am satisfied with the verification and hence proceeding further for registration after seeing the alert.



Deed Writer / Advocate



Vendee / Claimant



Vendor / Executant



Document Registration Summary 1

Date :-04-Sep-2023

- Government/Market Value: ₹0/-
- Transaction Amount: ₹0 /-
- Paid Stamp Duty: ₹50 /-

Receipt : 897242

Receipt Date : 04-09-2023

Presenter Name: -

SP ₹420

DD ₹2000

Stamp Duty ₹50

On Date 04-09-2023 Presented at SRO - Ranchi
Signature of Presenter

SRO - Ranchi

मनिषा सिंह

Total


₹2470

Payment Head	Amount To Be paid	Paid Amount	Balance Amount	Payment Mode	Payer Name	Reference No.	Payment Amount
Stamp Duty	42	50	-8	GRAS	ManishaSingh	GRN Number : 2319073197 DEPT Transaction Id : 0a447b43c3e4a1f15ef8 Transaction Type :	50
SP	420	420	0	GRAS	ManishaSingh	GRN Number : 2319073311 DEPT Transaction Id : 77dd1753b0f66f262510 Transaction Type :	420
DD	2000	2000	0	GRAS	ManishaSingh	GRN Number : 2319073311 DEPT Transaction Id : 77dd1753b0f66f262510 Transaction Type :	2000
Sub Total	2462	2470	-8				

File : Partnership Number of Pages : 28

Signature of Operator




Signature of Head Clerk


Signature of Registering Officer





OFFICE OF THE SUB REGISTRAR

Office Name :- SRO - Ranchi

District Name :-

State Name :- Jharkhand

Deed Endorsement

Token No :- 202300118450

Deed Type	Partnership
Number of Pages	28
Fee Details	Stamp Duty :- Rs. 42, SP :- Rs. 420, DD :- Rs. 2000,



Sh./Smt. Manisha Singh s/o/d/o/w/o Gupteshwar Singh has presented the document for registration in this office today dated :- 04-Sep-2023 Day :- Monday Time :- 15:48:56 PM



Manisha Singh(Individual)

Party Name	Document Type	Document Number
Manisha Singh	PAN/UID	271160377069

Sr.NO	Party Name and Address	Is e-KYC Verified?	e-KYC Details	Power Of Attorney	Party Type	Party_Photo	Finger Print	Signature
1	Manisha Singh Address1 - Khelgaon Chowk Dipatoli P.O RMCH P.S Sadar Ranchi, Address2 - Jharkhand PAN No.: Permission Case No.-	Yes	Manisha Singh Address:- KHELGAON CHOWK, DIPATOLI, PO- R.M.C.H., PS-SADAR, Bariatu, Ranchi, 834009, Jharkhand, India		FIRST PARTY Age:42			

Sr.NO	Party Name and Address	Is e-KYC Verified?	e-KYC Details	Power Of Attorney	Party Type	Party_Photo	Finger Print	Signature
2	Priyanshu Ranjan Address1 - Dipatoli Khelgaon Chowk P.O RMCH P.S Sadar Bariatu Ranchi, Address2 - Jharkhand PAN No.: Permission Case No.-	Yes	Priyanshu Ranjan Address:- DIPATOLI, KHELGAON CHOWK, PO-R M C H, PS- SADAR, Bariatu, Ranchi, 834009, Jharkhand, India		PARTY Age:18			Priyanshu


Identification:

Sr.NO	Party Name and Address	Photo	FingerPrint	Signature
1	Gaurav Kumar S/o-D/o Garib Sahu Address1 - Pitamber Residency Dumardaga Sadar Ranchi, Address2 - Jharkhand PAN No.:			Gaurav Kumar

Witness:

I/We individually/Collectively recognize the Seller(S) and Buyer(s)

Sr.NO	Party Name and Address	Photo	Thumb	Signature
1	Gaurav Kumar Address1 - Pitamber Residency Dumardaga Sadar Ranchi, Address2 - Jharkhand			

Signature of Operator 



Seal and Signature of Registering Officer

Above signature & thumb Impression are affixed in my presence.

Above mentioned, (**Manisha Singh , Priyanshu Ranjan**), has/have admitted the execution before me. He/ She/ They has / have been identified by (**Gaurav Kumar**) Son/Daughter/Wife of (**Garib Sahu**) resident of (**Pitamber Residency Dumardaga Sadar Ranchi**) and by occupation (**Business**).

WS

Signature of Registering Officer

Date:- 04-Sep-2023

WS

Seal and Signature of Registering Officer



Token No.: 202300118450

CERTIFICATE

Office of the SRO - Ranchi

This **Partnership** was presented before the registering officer on date **04-Sep-2023** by **Manisha Singh**, S/O, D/O, W/O **Gupteshwar Singh** resident of Khelgaon Chowk Dipatoli P.O RMCH P.S Sadar Ranchi ,... This deed was registered as Document No:- **2023/RAN/8032/BK4/616** in Book No :- **BK4**, Volume No :- 58 from Page No :- 505 to 532 at, office of **SRO - Ranchi**

Date:- **04-Sep-2023**


Registering Officer

